संक्षेपाक्षर

एबीआई	कृषि व्यवसाय इंक्यूबेटर
सीएजीआर	चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर
सीईपीए	व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता
क्राफिकार्ड	कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्थाओं हेतु समीक्षा समिति
सी-एसआईटीई	साइबर-सुरक्षा सूचना प्रौद्योगिकी जांच
डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डीआईडीएफ़	डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना निधि
एफ़पीओ	कृषक उत्पादक संगठन
वित्व	वित्तीय वर्ष
जीबी	ग्रामीण बैंक
जीएलसी	आधारस्तरीय ऋण
जीओआई	भारत सरकार
जीवीए	सकल मूल्य वर्धन
एचए	हेक्टेयर
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीआरआईएसएटी	इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रोपिक्स
आईआईएमआर	भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान
आईपीसीसी	इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज
जेएलजी	संयुक्त देयता समूह
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
एलईडीपी	आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम
एलटी	दीर्घावधि
एमईडीपी	सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम
एमएफ़पी	मेगा फूड पार्क
एमएसएमई	सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम
एनएएआरएम	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनबीएफ़सी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनआईई	राष्ट्रीय कार्यान्वयनकर्ता इकाई
ओएफ़पीओ	कृषीतर उत्पादक संगठन
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
पीएमएवाई-जी	प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण
आर एंड डी	अनुसंधान और विकास
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरबीआईसी	ग्रामीण कृषि व्यवसाय उद्भवन केंद्र
आरसीबी	ग्रामीण सहकारी बैंक
आरएफ़आई	ग्रामीण वित्तीय संस्था
आरआईडीएफ़	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एसई	पर्यवेक्षित संस्था
एसएफ़बी	लघु वित्त बैंक
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएलएफ़	विशेष चलनिधि सुविधा
एसटी	अल्पावधि
एसटी (एसएओ)	अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन)
एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
टीडीएफ़	जनजाति विकास निधि

नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट- 2021-22 के लिए नोट

1. विवकैलेंडर वर्ष से पहले उल्लिखित उस वर्ष को दर्शाता है जिसमें वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, उदाहरणार्थ विव 2022, 31 मार्च 2022 को समाप्त होता है.
2. संभव है कि पूर्णांकन के परिणामस्वरूप, तालिकाओं में इंगित संख्याओं के योग का मिलान न हो. आंकड़ों के प्रतिशत को 100%करने के लिए समायोजित किया गया है.
3. चूंकि संवितरण चरणबद्ध तरीके से किया जाता है इसलिए संवितरण की राशि में पिछले वित्तीय वर्ष की परियोजना की राशि शामिल हो सकती है, इसलिए किसी विव के संवितरण उस विव की मंजूरियों के अनुरूप नहीं हैं.
4. नाबार्ड द्वारा परिभाषित क्षेत्र

   दक्षिण: आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और लक्षद्वीप

   पश्चिम: गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, तथा दमन और दीव

   उत्तर: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़

   मध्य: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, और उत्तराखंड

   पूर्व: बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

   पूर्वोत्तर: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम